

कार्यालय
नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर
जनपद-सिद्धार्थनगर

अति अल्प कालिक निविदा सूचना

एतद्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत गैजेबो टाईप 2/3 (Gazebo type 2/3) मय फिटिंग, डिजाइनर पोल एल0ई0डी0 लाइट मय फिटिंग का कार्य तथा डक पैडल बोट 2सीटर/4सीटर का आपूर्ति कार्य सामग्री लगवाया जाना/आपूर्ति लिया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक फर्म मुहरबन्द निविदा दिनांक 14/07/2021 को जिलाधिकारी कार्यालय के एल0बी0सी पटल पर निम्न शर्तों के अधीन समय 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिनांक को समय 3.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय के एल0बी0सी पटल पर अपर जिलाधिकारी(वि/रा0) द्वारा खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य अदा करके दिनांक 13/7/2021 तक प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्य से सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है तथा नगर पालिका के WEBSITE WWW.NPPSiddharthnagar.in पर भी देखा जा सकता है। सामग्री का विवरण निम्नवत है-

राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से आपूर्ति कार्य।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	जमानत 10 प्रतिशत	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	गैजेबो टाईप 2/3 (Gazebo type 2/3) मय फिटिंग	सामग्री का दर प्रति अदद	40000.00	4000.00	तीन माह के अन्दर
2	डिजाइनर पोल एल0ई0डी0 लाइट मय फिटिंग का कार्य।	सामग्री का दर प्रति अदद	40000.00	4000.00	तीन माह के अन्दर
3	डक पैडल बोट 2सीटर/4सीटर का आपूर्ति कार्य।	सामग्री का दर प्रति अदद	25000.00	2500.00	तीन माह के अन्दर

नियम व शर्तें

- इच्छुक फर्म को निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एफ.डी.आर. या एम.एस.सी.-5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के नाम या उनके पक्ष में बन्धक कर जमा करना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक फर्म सामग्री की समस्त तकनीकी एवं सूक्ष्म जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- इच्छुक फर्म को सामग्री के अनुसार दर अलग-अलग देना होगा तथा आपूर्ति के समय अतिरिक्त व्यय परिवहन/ट्रान्सपोर्टेशन आदि चार्ज देय नहीं किया जायेगा।
- इच्छुक व्यक्ति/फर्म की निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त अपने व्यय से 100.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर से अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक फर्म को आपूर्ति किये गये सामग्री की मारण्टी/वारण्टी का विवरण अलग-अलग देना होगा।
- इच्छुक फर्म को निर्धारित सामग्री में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो भा0द0सं0 के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा, तथा इच्छुक व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

Received @ NIC
12/7/2021

7. बिना कोई कारण बताये किसी भी निदिदा को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा, उस पर वाद बिवाद होने दशा में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर

कार्यालय: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर

संख्या 375(2) / न0पा0परि0सि0न0 / 2021-22

दिनांक 9/7/2021

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1 जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर
- 2 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सिद्धार्थनगर।
- 3 ✓ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सिद्धार्थनगर।
- 4 कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

दिनांक 9/7/2021

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर